इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 9059-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०११

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. कर का भार.

४. कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण.

५. कर का उद्ग्रहण.

६. प्रभार और कर की दर.

७. होटल मालिक या स्वामी के रूप में फर्मों का दायित्व.

८. वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

९. कर का निर्धारण, संग्रहण आदि.

१०. रजिस्ट्रीकरण.

११. छूट देने की शक्ति.

१२. व्यावृत्ति.

१३. नियम बनाने की शक्ति.

१४. किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के अधिरोपण का वर्जन.

१५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

१६. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०११

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राज्य में विलास वस्तुओं, मनोरंजन, आमोद एवं प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर के उद्ग्रहण हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, २०११ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''मनोरंजन में प्रवेश'' में सम्मिलित है किसी ऐसे स्थान में प्रवेश जहां केबल सेवा, डायरेक्ट टू होम सेवा (डीटीएच), दूरसंचार सेवा या किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से मनोरंजन किया जा रहा हो और मनोरंजन सुलभ कराया जा रहा हो;

(ख) ''विज्ञापन'' से अभिप्रेत है किसी स्थल पर स्लाइड या फिल्म या पोस्टर या बैनर या होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शित या केबल टेलीविजन के माध्यम से या किसी अन्य साधन से विज्ञापित, जिसमें टेली-मार्केटिंग सम्मिलित है, समाचार-पत्रों में प्रकाशित या रेडियो या टेलीविजन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों को छोड़कर, किसी माल, सेवा, उत्पाद, सम्पत्ति, मनोरंजन, व्यापार, कारबार या व्यवसाय की सूचना या उद्घोषणा;

(ग) ''मनोविनोद'' से अभिप्रेत है किसी भी मनोविनोद आर्केड, मनोविनोद पार्क या थीम पार्क में या किसी अन्य स्थान में चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उपलब्ध कराया गया कोई भी मनोविनोद;

(घ) ''कारबार'' में सम्मिलित है,—

(एक) किसी होटल मालिक द्वारा वास सुविधा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप और वास-सुविधा उपलब्ध कराने के ऐसे क्रियाकलाप से सम्बद्ध, आनुषंगिक या सहायक कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप;

(दो) किसी स्वामी द्वारा मनोरंजन उपलब्ध कराने और विज्ञापन प्रदर्शित करने का क्रियाकलाप;

(तीन) किसी स्वामी द्वारा विलास वस्तुएं उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप;

(ङ) ''केबल ऑपरेटर'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो सेटेलाइट सिग्नल प्राप्त करने और वितरित करने, संचार नेटवर्क, जिसमें कार्यक्रमों एवं पैकेजेस का निर्माण एवं संचारण शामिल है, के कारबार में लगा हुआ है;

(च) ''कैटरर'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो किसी रेस्तरां से भिन्न किसी स्थान पर भोजन, स्वल्पाहार आदि उपलब्ध कराता है;

(छ) ''क्लब'' में सम्मिलत है कोई निगमित और अनिगमित, दोनों व्यक्तियों का संगम, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(ज) ''मनोरंजन'' में सम्मिलित है,—

(एक) कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, क्रीड़ा या खेल जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;

(दो) डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से रिंगटोन, संगीत, वीडियो, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि द्वारा उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

(पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता;

(छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

स्पष्टीकरण.—मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी.

(झ) ''होटल'' में सम्मिलित है कोई वास स्थान, वास गृह, क्लब, सराय, सार्वजनिक गृह या कोई ऐसा भवन या उसका भाग जहां कारबार के अनुक्रम में वास-सुविधा उपलब्ध कराई जाती है;

(ञ) ''होटल मालिक'' से अभिप्रेत है होटल का स्वामी और उसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो तत्समय होटल के प्रबंध का भारसाधक है;

(ट) ''विलास वस्तु'' से अभिप्रेत है आनंद, सुख या प्रमोद के लिए माल, सेवाओं, सम्पत्ति, सुविधाओं आदि का उपयोग, या ऐसे माल या सेवाओं का मुक्तहस्त उपभोग, अर्थात्,—

(एक) किसी होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली वास-सुविधा और अन्य सेवाएं जिनके लिए प्रभार की दर, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त बिस्तर और उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रभारों को सम्मिलित करते हुए प्रतिदिन ऐसी राशि जैसी कि विहित की जाए, से अधिक है, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिए पृथक् से प्रभार लिया जाता है;

(दो) ब्यूटी पार्लर, स्पा में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं;

(तीन) मैरिज हॉल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं एवं सुविधाएं;

(चार) कैटरर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, चिकित्सालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को छोड़कर, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिए पृथक् से प्रभार लिया जाता है;

(पांच) गृह सज्जाकार (डेकोरेटर), पुष्प विक्रेता (फ्लोरिस्ट), प्रभासक (इल्यूमिनेटर), प्रसारण सुविधा (आडियोसिस्टम) प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(ठ) ''मैरिज हॉल'' में सम्मिलित है लॉन, गार्डन, कोई भवन या किसी भवन का हिस्सा जहां किसी भी प्रसंग, जिसमें सम्मिलित है सेनीनार या सम्मेलन या प्रीतिभोज या सभा या प्रदर्शनी-सह-विक्रय के लिए स्थान या जगह उपलब्ध कराई जाती है;

(ड) ''मनोरंजन में प्रवेश के लिए धनीय प्रतिफल'' में सम्मिलित है,—

(एक) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी स्थान में सीटों या अन्य वास स्थान सुविधा के लिए किसी भी रूप में किया जाए;

(दो) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी भी कार्यक्रम या कथासार (सिनोप्सिस) के लिए किया जाए;

(तीन) कोई भुगतान, जो किसी ऐसे उपकरण या यंत्र के जिससे कोई व्यक्ति सामान्य या अधिक अच्छी तरह से मनोरंजन के ऐसे दृश्य देख सके या उसकी ध्वनि सुन सके या उसका आनन्द ले सके, उधार लेने या उपयोग के लिए किया जाए जो ऐसा व्यक्ति ऐसे उपकरण या यांत्रिकी सहायता के बिना प्राप्त नहीं कर सकता;

(चार) किसी मनोरंजन को, चाहे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये या प्रचलित आधार पर पहुंचाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंशदान या अभिदान या संस्थापन और संयोजन (कनेक्शन) प्रभारों या किन्ही अन्य प्रभारों के रूप में किया गया कोई भुगतान, जो किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(पांच) कोई भुगतान, जो मनोरंजन से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए हो और किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे मनोरंजन में उपस्थित होने या उपस्थित बने रहने की शर्त के रूप में, या तो मनोरंजन में प्रवेश के लिये भुगतान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त या प्रवेश के लिये किसी ऐसे भुगतान के बिना, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अपेक्षित हो;

(छह) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान जिसे मनोरंजन स्थल के एक भाग में प्रवेश दिए जाने के पश्चात् उसके अन्य भाग में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें प्रवेश के लिए कर या अधिक कर सहित भुगतान करना अपेक्षित है;

(सात) नि:शुल्क, प्रच्छन्न, अनधिकृत या रियायती प्रवेश की दशा में, चाहे स्वामी की जानकारी में या जानकारी के बिना, ऐसा भुगतान जो किया गया होता यदि संबंधित व्यक्ति का प्रवेश ऐसे प्रवेश के लिए सामान्यत: प्रभारित किए जाने वाले पूर्ण प्रभार के भुगतान पर किया जाता.

स्पष्टीकरण एक—किसी मनोरंजन के संबंध में किसी भी रूप में लिया गया अभिदान या संगृहीत किया गया संदाय प्रवेश के लिए भुगतान समझा जाएगा;

स्पष्टीकरण दो—जहां किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिये अभिदाय या अंशदान के रूप में अथवा किसी सीजन टिकट के लिए मनोरंजन की किसी आवलि (सीरीज) में प्रवेश के अधिकार के लिए अथवा कतिपय समय की कालावधि के दौरान किसी मनोरंजन के लिए अथवा किसी विशेषाधिकार, अधिकार, सुविधा या ऐसी बात के लिए, जिसमें मनोरंजन के लिये प्रवेश का अधिकार सम्मिलित है या कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना या घटी दरों पर, किसी व्यक्ति को एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया है, वहां मनोरंजन शुल्क का भुगतान ऐसी एक मुश्त राशि की रकम पर किया जाएगा;

स्पष्टीकरण तीन—जहां कोई मनोरंजन किसी व्यक्ति द्वारा किसी सेवा के भाग के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वह ऐसी सेवा का एकीकृत भाग हो या अन्यथा, तो सेवा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये प्रभारों में मनोरंजन उपलब्ध कराने या मनोरंजन के प्रभार भी सम्मिलित समझे जाएंगे.

(ढ) ''व्यक्ति'' में सम्मिलित है कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, और उसके अन्तर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कोई राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और कोई शासकीय उपक्रम भी है;

(ण) ''कारबार का स्थान'' में सम्मिलित है कोई कार्यालय, या कोई ऐसा अन्य स्थान जिसे होटल मालिक या स्वामी अपने कारबार के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाता है या जहां वह अपनी लेखाबहियां रखता है;

(त) ''स्वामी'' में किसी विज्ञापन, मनोरंजन या विलास वस्तु के संबंध में, उसके प्रबंध के प्रभार के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या तत्समय उसके संबंध में प्रभार के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति, शामिल है;

(थ) ''धनीय प्रतिफल की पावती'' से अभिप्रेत है किसी होटल मालिक या किसी स्वामी, या उसके अभिकर्ता द्वारा किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन के लिए प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य रकम का भुगतान किन्तु उसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय और होटल मालिक या स्वामी द्वारा पृथक् रूप से संगृहित कर नहीं होगा;

(द) ''रजिस्ट्रीकृत होटल मालिक या स्वामी'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई होटल मालिक या स्वामी;

(ध) ''कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन देय कर;

(न) किसी कालावधि के संबंध में ''कुल राशि'' से अभिप्रेत है किसी होटल मालिक या किसी स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन की बाबत् उसको प्राप्त या प्राप्ति योग्य धनीय प्रतिफल की पावतियों की रकम का योग;

(प) ''वेट अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२)

(२) उन सभी अभिव्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो वेट अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो वेट अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

कर का भार.

३. (१) प्रत्येक ऐसा होटल मालिक या स्वामी, जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान पांच लाख रुपये से अधिक है, मध्यप्रदेश में उसके द्वारा किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर ऐसे प्रारंभ होने के समय से चुकाने का दायी होगा.

(२) प्रत्येक ऐसा होटल मालिक या स्वामी, जिसको उपधारा (१) लागू नहीं होती है, मध्यप्रदेश में उसके द्वारा किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी उस तारीख से होगा जिसको कि ऐसी तारीख से एक वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) पांच लाख रुपये से प्रथम बार अधिक हो जाती है किन्तु उस वर्ष के लिए कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से केवल उतनी ही कुल राशि (टर्न ओवर) को हिसाब में लिया जाएगा जो कि ऐसी सीमा से अधिक है.

कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण.

४.(१) आयुक्त इस अधिमियम के अधीन कर का भुगतान करने के किसी होटल मालिक या स्वामी के दायित्व का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कार्यवाहियां विहित रीति में, संस्थित करेगा. ऐसा दायित्व, आदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसी कार्यवाहियां संस्थित किए जाने की तारीख से बारह मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा.

(२) धारा ३ के उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी होटल मालिक या स्वामी के कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण—

(एक) उपधारा (१) के अधीन कार्यवाहियां संस्थित किये जाने की तारीख; या

(दो) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की तारीख,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, से पांच वर्ष पूर्व की तारीख से नहीं किया जाएगा.

कर का उद्ग्रहण.

५. (१) कुल राशि पर कर उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसा कर किसी होटल मालिक या किसी स्वामी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय होगा.

(२) यदि स्वामी (जिसके अन्तर्गत भागिक स्वामी भी है) से भिन्न कोई व्यक्ति कारबार के स्थान का तत्समय भारसाधक है, तो ऐसा व्यक्ति और स्वामी (जिसके अन्तर्गत भागिक स्वामी भी है) कर का संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्वाधीन होंगे.

प्रभार और कर की दर.

६. (१) किसी होटल मालिक या स्वामी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) होटल मालिक की दशा में, कुल राशि का १० प्रतिशत;

(ख) स्वामी की दशा में ,—

(एक) किसी होटल में उपलब्ध कराई गई से भिन्न, विलास वस्तुओं पर, कुल राशि का १० प्रतिशत;
(दो) विज्ञापन पर, कुल राशि का १० प्रतिशत;
(तीन) मनोरंजन पर, कुल राशि का २० प्रतिशत;

(२) जहां किसी होटल में उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तु के प्रभारों के अतिरिक्त , सेवा प्रभार उद्गृहीत किये जाते हैं और होटल मालिक द्वारा विनियोजित कर लिए जाते हैं और कर्मचारिवृन्द को संदत्त नहीं किए जाते हैं, वहां ऐसे प्रभारों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे होटल में उपलब्ध कराई गई विलास वस्तु के लिए प्रभारों के भाग हैं.

(३) होटल मालिक को ऐसी विलास वस्तु के लिये वस्तुतः चुकाए गए प्रभार पर, उपधारा (१) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दर से कर उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.

(४) खाद्य और पेय के प्रदाय के लिये कुल राशि की बाबत् कर उस दशा में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और देय नहीं होगा, जबकि उनके लिए पृथक्-पृथक् रूप से प्रभार लिया जाता है और जिनके विक्रय पर होटल मालिक मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है.

होटल मालिक या स्वामी के रूप में फर्मों का दायित्व.

७. जहां कोई कारबार किसी फर्म के स्वामित्व में है या किसी फर्म द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है या उसे चलाया जाता है, वहां वह फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे:

परन्तु जहां कोई भागीदार उस फर्म से निवृत्त हो जाता है, वहां वह उस कर, शास्ति, ब्याज या इस अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य रकम का, जो उसकी निवृत्ति के समय अदत्त रहती है, तथा उसकी निवृत्ति की तारीख तक शोध्य किसी कर का संदाय करने का दायी होगा, भले ही कर का निर्धारण या शास्ति या ब्याज का उद्ग्रहण किसी पश्चात्वर्ती तारीख को किया गया है.

वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

८. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं, जिसमें विवरणियों, निर्धारण, स्व-निर्धारण, पुनर्निर्धारण कर का भुगतान एवं वसूली, लेखा, कर के अपवंचन का पता लगाना तथा उसका निवारण, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराधों तथा शास्तियों और अन्य विविध मामलों से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी होटल मालिक या स्वामी को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और देय कर ब्याज या शास्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में समाविष्ट कर लिए गए हैं और यह समझा जाएगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत उपबंधों के अधीन बनाए गए थे या जारी किए गए थे/जारी की गई थीं, जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई हैं.

कर का निर्धारण संग्रहण आदि.

९. इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का क्रियान्वयन, जहाँ तक कि वह होटल मालिकों या स्वामियों पर कर के उद्ग्रहण, निर्धारण और उनसे कर के संग्रहण से संबंधित है, वेट अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगा और तद्नुसार वे प्राधिकारी जो वेट अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण करने और उसके संदाय को प्रवर्तित कराने के लिए तत्समय सशक्त हैं, इस अधिनियम के अधीन होटल मालिक या स्वामी द्वारा देय कर का जिसके अन्तर्गत कोई ब्याज या शास्ति भी है, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण इस प्रकार करेंगे और उसके संदाय को इस प्रकार प्रवर्तित कराएंगे मानो ऐसे होटल मालिक या स्वामी द्वारा इस अधिनियम के अधीन या वेट अधिनियम के उपबंधों के, जो धारा ८ के अधीन होटल मालिकों या स्वामियों को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर के संबंध में लागू किए गए हैं, अधीन देय कर या ब्याज या शास्ति उस अधिनियम के अधीन देय कर या ब्याज या शास्ति है और इस प्रयोजन के लिए वे उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.

रजिस्ट्रीकरण.

१०. (१) इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक होटल मालिक या स्वामी समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और प्ररूप में अभिप्राप्त करेगा जो विहित किया जाए.

(२) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक होटल मालिक या स्वामी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर या यदि उस तारीख को कारबार नहीं कर रहा था तो उसके कर का संदाय करने के लिए दायी होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने हेतु आवेदन करेगा.

(३) जहाँ उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई होटल मालिक या स्वामी उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहाँ समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदाय करे.

(४) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किए गए आवेदन पर मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दायित्व की तारीख से विधिमान्य होगा. ऐसी कालावधि के पश्चात् किए गए आवेदन पर मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख से विधिमान्य होगा.

(५) प्रत्येक ऐसा होटल मालिक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गये अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है, ऐसे प्रारंभ पर, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करने वाला होटल मालिक समझा जायेगा.

(६) वेट अधिनियम की धारा १७ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जहाँ तक कि वे उस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों के संशोधन और रद्दकरण से संबंधित है, इस धारा के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

छूट देने की शक्ति.

११. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी होटल मालिक/स्वामी या होटल मालिकों/स्वामियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय से पूर्णत: या भागत: छूट, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, दे सकेगी.

व्यावृत्ति.

१२. मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, १९८८ (क्रमांक १३ सन् १९८८) और मध्यप्रदेश मनोरंजन कर और विज्ञापन शुल्क अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६) (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के निरसित होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी होटल मालिक/स्वामी या होटल मालिकों/स्वामियों के किसी वर्ग को निरसित अधिनियमों के अधीन कर के भुगतान से इस अधिनियम

के प्रारंभ के पूर्व की किसी कालावधि के लिए छूट दे सकेगी और उस प्रयोजन के लिए यही और सदैव यही समझा जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा अधिनियम क्रमांक १३ सन् १९८८ की धारा ९ या अधिनियम क्रमांक ३० सन् १९३६ की धारा ७ के उपबंध ऐसी छूट के प्रयोजन के लिए पुन: प्रवर्तित हो गए हैं.

नियम बनाने की शक्ति.

१३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी—

(क) धारा (१०) की उपधारा (१) के अधीन वह रीति और प्ररूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया जाएगा;

(ख) वह प्ररूप जिसमें विवरणियां फाइल की जाएंगी;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह कालावधि जिसके पूर्व कर का संदाय किया जाएगा;

(घ) वह प्ररूप जिसमें निर्धारण आदेश पारित किया जाएगा;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें मांग की सूचना जारी की जाएगी.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के अधिरोपण का वर्जन.

१४. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् किसी अवधि के संबंध में किसी मनोरंजन के संबंध में कर अधिरोपित या वसूल नहीं करेगा.

(२) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को, जिसने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, मनोरंजनों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए कोई कर या शुल्क अधिरोपित किया था और ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाए वार्षिक सहायता अनुदान का भुगतान करेगी.

(३) इस धारा की कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहणीय प्रदर्शन कर के अधिरोपण को लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''प्रदर्शन कर'' से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रदर्शन या प्रस्तुतीकरण के लिए मनोरंजन के स्वामी से निश्चित् राशि के रूप में उद्ग्रहणीय कर.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१५. मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, १९८८ (क्रमांक १३ सन् १९८८) और मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को निरसित हो जाएगा :

परन्तु—

(एक) ऐसे निरसन से,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम का क्रमांक १३ सन् १९८८ और अधिनियम क्रमांक ३० सन् १९३६ (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियमों के नाम से निर्दिष्ट है) के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा जो निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; या

(ग) निरसित अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(घ) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

तथा ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखी जा सकेगी या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि वह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था तथा उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया था.

(दो) जब तक कि वह अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, निरसित अधिनियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत कोई नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम या प्रमाण-पत्र आता है) जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक और जहां तक कि वह इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अतिष्ठित न कर दी गई हो, खण्ड (एक) के उपखंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जबकि ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय कर के समस्त बकाया तथा शोध्य अन्य रकमें उसी प्रकार वसूल की जा सकेंगी मानो कि वे इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई हैं.

(तीन) निरसित अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन कोई कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या उद्भूत होने वाली अन्य कार्यवाहियां और/या इस अधिनियम के ठीक पूर्व कर निर्धारण करने या सुनवाई करने तथा विनिश्चित् करने के लिये सम्यक्रूपेण सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित ऐसी अपील, पुनरीक्षण, अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण करने या अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों की इसके लिये विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर सुनवाई करने तथा विनिश्चित् करने के लिये सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को अंतरित की जाएगी और तदुपरि ऐसा कर निर्धारण निरसित अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा ऐसी अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की सुनवाई तथा उसका विनिश्चय ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो कि वे निरसित अधिनियम के प्रयोजन के अधीन सम्यक्रूप से सशक्त हैं.

(चार) खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां जो निरसित अधिनियमों के अधीन उद्भूत हों किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की गई या आरंभ की गई हैं तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी तथा उसका विनिश्चय किया जाएगा.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१६. यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने में धारा १५ द्वारा निरसित अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंध से उक्त उपबंधों में संक्रमण होने के परिणामस्वरूप कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, इस अधिनियम से अन संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो कि शंका या कठिनाई दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०११-१२ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट विलास वस्तु, मनोरंजन तथा विज्ञापन से संबंधित कर प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने की दृष्टि से विलास वस्तुओं, मनोरंजन, मनोविनोद तथा विज्ञापन पर कर उद्ग्रहण करने के लिए एक नई व्यापक अधिनियमिति बनाए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०११.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड २ (१)(ट)(एक) : होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली वास सुविधा और अन्य सेवाओं के लिए प्रतिदिन प्रभार की दर विहित करने;

खण्ड ४ : आयुक्त द्वारा कर के भुगतान हेतु दायित्वों के अवधारण को सुनिश्चित किए जाने;

खण्ड १० : रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु, रीति और प्ररूप विहित किये जाने;

खण्ड ११ एवं १२ : अधिसूचना द्वारा, कर के संदाय से होटल मालिक/ स्वामी को छूट दिये जाने;

खण्ड १३ : अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किये जाने;

खण्ड १४ : अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व अधिरोपित शुल्क के संबंध में वार्षिक सहायता अनुदान सुनिश्चित किये जाने; तथा

खण्ड १६ : इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण होने के फलस्वरूप कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से २ वर्ष के भीतर उक्त शंका या कठिनाई दूर करने के लिए उपबंध सुनिश्चित किये जाने

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.